

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22112021-231279
SG-DL-E-22112021-231279

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 18, 2021/कार्तिक 27, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 262
No. 345]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 18, 2021/KARTIKA 27, 1943	[N. C. T. D. No. 262

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (व्यय-I) विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 18 नवम्बर, 2021

सं. 21/2021-राज्य कर

सं0फा0 03(117)/वित्त(व्यय-I)/2021-22/डीएस-I/316.—दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल,, परिषद की सिफारिशों पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 73/2017-राज्य कर, दिनांक 31 जनवरी, 2018, जिसे सं0फा0 03(80)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/57, दिनांक 31 जनवरी, 2018, के तहत, दिल्ली के राजपत्र, आसाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, तीसरे परंतुक के पश्चात निम्नलिखित परंतुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह भी कि उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 और उसके आगे की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों द्वारा देय विलंब फीस की कुल राशि, जो देय तिथि तक प्ररूप जीएसटीआर-4 में विवरणी प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं, का अधित्यजन कर दिया जाएगा-

- (i) जो कि दो सौ पचास रुपए से अधिक है जहां उक्त विवरणी में देय राज्य कर की कुल राशि शून्य है;
- (ii) जो कि एक हजार रुपये से अधिक है, उन रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के लिए, जो कि (i) में शामिल व्यक्तियों के अलावा है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप सचिव-I (वित्त)

नोट:—मूल अधिसूचना संख्या 73/2017—राज्य कर, दिनांक 31 जनवरी, 2018 को सं0फा0 03(80)/वित्त (राजस्व-I)/2017-18/डीएस-IV/57, दिनांक 31 जनवरी, 2018 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार संशोधन अधिसूचना संख्या 67/2020—राज्य कर, दिनांक 19 नवम्बर, 2020, जिसे सं0फा0 03(61)/वित्त (राजस्व-I)/2021-22/डीएस-IV/65, दिनांक 19 नवम्बर, 2020 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-IV में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा किया गया है ।

FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 18th November, 2021

No. 21/2021—State Tax

No. F.3(117)/Fin.(Exp-I)/2021-22/DS-I/316.—In exercise of the powers conferred by section 128 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Expenditure-IV), No. 73/2017—State Tax, dated the 31st January, 2018, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(80)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/57, dated the 31st January, 2018, namely:-

In the said notification, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely: —

“Provided also that the total amount of late fee payable under section 47 of the said Act for financial year 2021-22 onwards, by the registered persons who fail to furnish the return in **FORM GSTR-4** by the due date, shall stand waived -

- (i) which is in excess of two hundred and fifty rupees where the total amount of state tax payable in the said return is nil;
- (ii) which is in excess of one thousand rupees for the registered persons other than those covered under clause (i).”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
RAVINDER KUMAR, Dy. Secy.-I (Finance)

Note:—The principal notification No. 73/2017—State Tax, dated the 31st Jan, 2018, was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No F.3(80)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/57, dated the 31st January, 2018 and was last amended vide notification number 67/2020—State Tax, dated the 19th November, 2020, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, published vide No. F.3(61)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/165 dated the 19th November, 2020.